

Reference No.

/SIDC/

Dated

:- कार्यालय आदेश :-

निगम के संचालक मण्डल ने दिनांक 21.11.2018 को सम्पन्न 300वीं बैठक में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों/निगमों/संस्थाओं को आवंटित भूमि/भूखण्डों में बिना समयविस्तारण शुल्क लिए समयवृद्धि प्रदान करने की नीति पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया है कि निगम द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले विभागों/उपक्रमों/निगमों/संस्थाओं आदि को आवंटित भूमि/भूखण्डों पर अनुमन्य उपयोग हेतु बिना किसी समय विस्तारण शुल्क की देयता के आवश्यकतानुसार समयविस्तारित किया जाए।

उपरोक्त के अनुपालन हेतु एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी ऐसे अर्ह प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित करेंगे जिस पर गुण दोष के आधार पर निर्णय प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा।

(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2047-56/एसआईडीसी-आईए- पालिसी वाल्यूम-17.

दि 18-12-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0,
2. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, (औ0 क्षे0 अनुभाग), उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।
4. गार्ड फाईल



(राजेश कुमार सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

17.12.18